AAP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलेक्टर बाप — मुकाम — बाप
फकीर खां — बनाम — हासल खां वगैरा
वगैरा — नं. 170/2019 — सन्

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/9/19	प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र जरिये वकील अन्तर्गत धारा 82 जाब्ता फौजदारी अधिनियम के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जावें। मिसल दिनांक 14/11/19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर बाप (जि. जोधपुर)	
14/11/19	आज श्रीमान् ए.सी.एम. / एस.डी.एम साहब दौरें / अवकाश पर हैं। पेशी इत्तला की जाकर पत्रावली तारीख 12/12/19 को पेश हो।	
12/12/19	[illegible] / एस.डी.एम [illegible] / अनुपस्थिति [illegible] पेशी इत्तला की जाकर पत्रावली तारीख 27/12/19 को पेश हो।	
27/12/19	पत्रावली पेश है। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर वास्ते [illegible] प्रार्थी ने जो पत्र में वर्णित तथ्यों [illegible] प्रार्थी ने किया है प्रार्थी के वकील [illegible] का दोहरात हुए कथन के कारण प्रार्थी की जानकारी नहीं का देहान्त हो जाने के कारण प्रार्थी की जानकारी नहीं [illegible] तक नोटिस में हुई प्रगति की जानकारी प्राप्त [illegible] नहीं। बाद में न्यायालय से पता किये जाने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी का वाद कारण पूर्व में समाप्त हो गया है। प्रार्थी का पता प्रार्थी की सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही [illegible] पर किये जाने हेतु नोटिस जारी किये जाने के आदेश पत्रावली [illegible] पर किये जाने के आदेश दिया जाता है। प्रार्थी की बहस पर सुनवाई किया जाता आदेश दिनांक 13/11/19 को अवलोकन किया जाता जबकि न्याय [illegible] एवं अवलोकन पाया जाता कि न्याय हित में प्रार्थी का वाद में पूर्व सम्पत्ति की कुर्की हित में प्रार्थी का अवसर दिया जाना न्यायोचित है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद सं. 126/13 [illegible] फकीर खां वगैरा Vs हासल खां वगैरा [illegible] पर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मिसल पेश पश्चात होकर वाद के साथ नत्थी की नम्बर के कर दी। (महावीर सिंह) RAS.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2019.12.30 22:35:27 IST
Reason: SelfAttested